

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 4166/2024

कामलेश कुमार मीणा पिता श्री भोनरी लाल मीणा, आयु लगभग 49 वर्ष, निवासी
छत्री वाली ढाणी, दौसा खुर्द, दौसा, राजस्थान।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राज्य राजस्थान, प्रमुख सचिव, स्थानीय स्वशासन विभाग, सचिवालय,
जयपुर।
2. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्थानीय स्वशासन विभाग, राजस्थान सरकार,
जी-3, राजमहल रेसिडेंसी एरिया, नियर सिविल लाइंस फाटक, सी-स्कीम,
जयपुर।
3. उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय स्वशासन विभाग, राजस्थान सरकार, न्यू
कॉलोनी, होटल वेलकम के सामने, पंच बत्ती, जयपुर।
4. मोनिका सोनी, कार्यपालक अधिकारी-III, वर्तमान में सचिव, नगर परिषद,
दौसा।

-----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए : श्री आर.बी. माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री
निखिल सिमलोटे के साथ

"(डी.बी. एसएडब्ल्यू/533/2024 यह मामला बनाया गया है। कृपया इसे देखने के लिए आगे पढ़ें।)

(30/05/2025 दोपहर 12:22:01 बजे डाउनलोड किया गया।)"

प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री जी.एस. गिल, ए.ए.जी.,
डॉ. अभिनव शर्मा

माननीय श्री जस्टिस समीर जैन

आदेश

सूचनादायी

रिजर्व किया गया 09/04/2024

उच्चारित किया गया 14/05/2024

1. स्तुत याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है, जिसमें निम्नलिखित प्रार्थनाएँ की गई हैं, जैसे कि नीचे प्रस्तुत हैं—

"i) कृपया अभिलेख मंगवाएँ और याचिकाकर्ता द्वारा दायर याचिका स्वीकार करें।

ii) दिनांक 17.02.2024 का आदेश, जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 4 को नगर परिषद, दौसा के आयुक्त का प्रभार सौंपा गया है, को निरस्त एवं निष्प्रभावी घोषित करें।

iii) ऐसे कोई अन्य उपयुक्त आदेश पारित करें, जो इस माननीय न्यायालय को यथोचित, न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हों, तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर, याचिकाकर्ता के पक्ष में हों।"

2. माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.बी. माथुर ने, याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता दौसा का निवासी है, जो कि एक नगर परिषद

(नगर निगम) है। याचिकाकर्ता ने वार्ड संख्या 55 से नगर परिषद का चुनाव सफलतापूर्वक लड़ा था और वर्तमान में उसी सीट से पुनः प्रत्याशी है।

3. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि श्रीमती मोनिका सोनी अर्थात् प्रतिवादी संख्या 4, जो स्वीकार्य रूप से एक अधिशासी अधिकारी-III हैं, को स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग अर्थात् प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी आदेश दिनांक 15.02.2024 द्वारा नगर परिषद, दौसा का सचिव नियुक्त किया गया था।

4. इस स्तर पर, श्री माथुर ने प्रस्तुत किया कि इस मामले में कारण और विवाद तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 2, श्रीमती मोनिका सोनी, अर्थात् प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जारी दिनांक 17.02.2024 के आदेश द्वारा, उन्हें राजस्थान नगरपालिका सेवा (प्रशासनिक एवं तकनीकी) नियम, 1963 (इसके पश्चात्, 1963 के नियम) के प्रावधानों के विरुद्ध, नगर परिषद दौसा के आयुक्त का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया।

5. इस पृष्ठभूमि में, उक्त निजी प्रतिवादी संख्या 4 को आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने से पीड़ित होकर, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, किन्तु इसकी ओर कोई समुचित ध्यान नहीं दिया गया।

6. इसलिए, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय में दिनांक 17.02.2024 के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 2 ने श्रीमती मोनिका सोनी

यानी प्रतिवादी संख्या 4 को आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है, निम्नलिखित आधारों पर:-

6.1 प्रतिवादी संख्या 4 के पास आयुक्त का पद धारण करने के लिए अपेक्षित योग्यताएं नहीं हैं, जैसा कि 1963 के नियमों और स्थानीय स्वशासन विभाग द्वारा जारी दिनांक 30.01.2018 की संबंधित अधिसूचना अर्थात् प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा निर्धारित है।

6.2 सचिव के अतिरिक्त आयुक्त का प्रभार देना भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 16 एवं 243 बी की भावना के विरुद्ध है।

6.3 1963 के नियमों तथा अधिसूचना दिनांक 30.01.2018 के अनुसार आयुक्त का पद केवल योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ही भरा जा सकता है। साथ ही, केवल वे अधिकारी जो कार्यपालक अधिकारी-2 हैं, उन्हें ही आवश्यक न्यूनतम तीन वर्ष के अनुभव के पश्चात् पदोन्नत करके आयुक्त बनाया जा सकता है।

6.4 वर्तमान मामले के तथ्यों के अनुसार, श्रीमती मोनिका सोनी अर्थात् निजी प्रतिवादी संख्या 4, न तो अधिशासी अधिकारी-॥ हैं और न ही उनके पास नगर परिषद के सचिव के रूप में पाँच वर्ष का अनुभव है। अतः, आयुक्त के पद पर उनकी नियुक्ति 1963 के वैधानिक नियमों के विरुद्ध है।

“3. इस न्यायालय की सुविचारित राय में, नगरपालिका का प्रभार ऐसे व्यक्ति को सौंपना जो उस पद के लिए अयोग्य है, न केवल

याचिकाकर्ताओं के अधिकारों/हितों के विरुद्ध है, बल्कि नगरपालिकाओं के बेहतर प्रशासन के भी विपरीत है।

4. नोटिस जारी करें। स्थगन आवेदन पर भी नोटिस जारी करें, जो 05.04.2021 को प्रत्यावर्तन हेतु है।

5. इस बीच, राज्य सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को नगर पालिका आयुक्त के पद पर नियुक्त करने या प्रभार देने का कोई और आदेश पारित करने से प्रतिबंधित रहेगी, जो राजस्थान नगरपालिका सेवा (प्रशासनिक एवं तकनीकी) नियम, 1963 के अनुसार आयुक्त नहीं है।

6. आपातकालीन स्थिति में, यदि आयुक्त के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को कार्यभार सौंपना अपरिहार्य हो, तो ऐसा किया जाएगा, हालाँकि, इस शर्त के साथ कि यह 15 दिनों की अवधि से अधिक जारी नहीं रहेगा।”

6.5 नगर परिषद आयुक्त का पद कार्यालय में दक्षता की मांग करता है और उक्त दक्षता मानक किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है जिसके पास उक्त पद और/या पद धारण करने के लिए अपेक्षित योग्यताएं नहीं हैं

6.6 आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार किसी अयोग्य व्यक्ति को सौंपने से पूरी परिषद का कामकाज प्रभावित होगा और अनजाने में, आम जनता को भी नुकसान होगा।

7. प्रस्तुत तर्कों के समर्थन में, श्री आर.बी. माथुर ने न्यायालय के इस कथन का उल्लेख किया, जैसा कि एस.बी. सिविल रिट याचिका सं.2185/2021, शीर्षक श्रवण राम बनाम राज्य राजस्थान, आदेश दिनांक 15.02.2021 में किया गया, जिसमें न्यायालय ने राज्य द्वारा अयोग्य व्यक्तियों की आयुक्त पद पर नियुक्ति की

आलोचना करते हुए उसे रोका, साथ ही यह भी कहा कि ऐसी नियुक्ति केवल अस्थायी आधार पर अधिकतम 15 दिवस के लिए ही अनुमन्य होगी। ठीक इसी प्रकार, एस.बी. सिविल रिट याचिका सं. **17233/2023**, शीर्षक श्रीमती ममता चौधरी बनाम राज्य राजस्थान, आदेश दिनांक 20.10.2023 में भी, इस न्यायालय ने समान परिस्थितियों वाले याचिकाकर्ता के पक्ष में स्थगनादेश पारित किया।

8. इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता की लोकस स्टैंडी स्थापित करने के लिए और वर्तमान याचिका की विचारणीयता के समर्थन में, माननीय अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय तथा इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के निर्णय पर भरोसा करते हुए राजेश अवस्थी बनाम नंदलाल खिलाड़ी, जो **(2013) 1 एससीसी 501** में प्रकाशित हुआ है, और अधिकारी केवी अग्रवाल बनाम राजस्थान राज्य, जो **(2023) 4 डब्ल्यूएलसी 77** में प्रकाशित है, का उल्लेख किया। उपर्युक्त पर भरोसा रखते हुए प्रार्थना की गई कि वर्तमान याचिका स्वीकार की जाए और दिनांक 17.02.2024 का आदेश रद्द और निरस्त किया जाए।

9. इसके विपरीत, राज्य प्रतिवादी के अधिवक्ता और साथ ही निजी प्रतिवादी संख्या 4 ने एक साथ वर्तमान याचिका की विचारणीयता पर प्रारंभिक आपत्ति उठाई है। प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता के पास वर्तमान याचिका दायर करने की कोई लोकस स्टैंडी नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता कोई आहत पक्ष नहीं है। इसके अलावा कहा गया कि वर्तमान याचिका क्वो वारंटो प्रकृति की रिट के लिए दायर

की गई है, जबकि इसमें 17.02.2024 की तिथि के आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की गई है, जो कि मंडेमस प्रकृति की है। इसके अतिरिक्त, अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि वर्तमान याचिका विचारणीय नहीं है क्योंकि निर्वाचन आयोग को आवश्यक पक्षकार के रूप में पक्षकार नहीं बनाया गया है, विशेष रूप से तब जब लोकसभा चुनावों के कारण आचार संहिता लागू है।

10. गुण-दोष के आधार पर, प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने, आयुक्त/उप आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार के समर्थन में तर्क दिया कि वर्तमान में राजस्थान राज्य में आयुक्त/उप आयुक्त के 47 स्वीकृत पद हैं। (राजस्थान नगर पालिका सेवा) व आयुक्त/उप आयुक्त (राजस्थान प्रशासनिक सेवा) के 15 पद हैं, जिनमें से 7 पद रिक्त हैं। अतः आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त/उप आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी की कमी या पदों के रिक्त होने को देखते हुए, उसी संवर्ग/श्रेणी के अधिकारियों को या तो पदस्थापन दी जा रही है या आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जा रहा है, ताकि कोई कार्य बाधित न हो और राज्य की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन व निगरानी बड़े स्तर पर जनहित के लिए की जा सके।

11. इसलिए, आयुक्तों की कमी को देखते हुए और प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण, प्रतिवादी संख्या 2 ने कार्मिक विभाग को दिनांक 13.02.2024 को एक विभागीय पत्र भेजा जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 को आयुक्त-नगर परिषद दौसा के

अतिरिक्त प्रभार पर, विशेष रूप से 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए, नियुक्ति आदेश जारी करने की स्वीकृति मांगी गई थी।

12. फलस्वरूप, यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी संख्या 4 को आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपना न्यायसंगत और उचित है, विशेषकर उल्लेखित प्रशासनिक आवश्यकताओं जैसे आयुक्तों की कमी तथा लोकसभा चुनाव 2024 के संबंध में होने वाले आगामी कार्य को ध्यान में रखते हुए। अतः, दिनांक 17.02.2024 के आदेश में कोई हस्तक्षेप उचित नहीं है।

13. प्रतिवाद में दिए गए तर्कों के समर्थन में, एम/एस फर्टिलाइजर धर्मार्थ ट्रस्ट बनाम इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन, जो 2021 0 सुप्रीम (राज.) 415 में प्रकाशित हुआ है, निर्णय का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन कामगार (पंजीकृत) सिंदरी एवं अन्य बनाम भारत एवं अन्य, (1981) 0 एआईआर (एससी) 344, डी. नागराज बनाम कर्नाटक राज्य एवं अन्य, (1977) 0 एआईआर (एससी) 876 तथा एस.टी. मुथुस्वामी बनाम के नटराजन एवं अन्य, (1988) 0 एआईआर (एससी) 616 के निर्णयों का भी उल्लेख किया गया।

14. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया और विचार किया गया, वर्तमान याचिका के रिकॉर्ड का परीक्षण किया गया तथा बार में उद्धृत निर्णयों का भी अवलोकन किया गया।

15. संक्षिप्त रूप से, इस न्यायालय के समक्ष कारण और विवाद को उस चुनौती के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो आदेश दिनांक 17.02.2024 के विरुद्ध उठाई गई है, जिसके द्वारा स्थानीय स्वशासन विभाग, राज्य सरकार ने निजी प्रतिवादी संख्या 4 अर्थात् श्रीमती मोनिका सोनी को आयुक्त—नगर परिषद्, दौसा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

16. इसलिए, प्रतिद्वंदी तर्कों के समाधान के इस प्रारंभिक चरण में, यह स्पष्ट किया जाता है कि निजी प्रतिवादी संख्या 4, अर्थात् श्रीमती मोनिका सोनी की सचिव-नगर परिषद् दौसा के रूप में दिनांक 15.02.2024 के आदेश द्वारा नियुक्ति के संबंध में इस न्यायालय के समक्ष कोई चुनौती नहीं उठाई गई है। बल्कि, चुनौती का दायरा केवल दिनांक 17.02.2024 के आदेश द्वारा आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने तक ही सीमित है।

17. गुण-दोष के आधार पर निर्णय पर विचार करने से पहले, यह न्यायालय प्रतिवादियों के वकील द्वारा तत्काल याचिका की विचारणीयता के संबंध में उठाई गई दोहरी प्रारंभिक आपत्तियों का स्पष्ट रूप से समाधान करना उचित समझता है। इस प्रकार उठाई गई प्राथमिक आपत्ति, याचिकाकर्ता के पास गैर-पीड़ित पक्ष के रूप में वर्तमान याचिका दायर करने का अधिकार न होने से संबंधित थी, जो कि अधिकार-पृच्छा रिट की मांग कर रही थी, जबकि द्वितीयक आपत्ति आदर्श आचार

संहिता लागू होने के बावजूद, चुनाव आयोग को एक आवश्यक पक्ष के रूप में अभियोजित न करने से संबंधित थी।

18. उक्त प्रारंभिक आपति के संदर्भ में, इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के अधिकारी केवी अग्रवाल (सुप्रा) के निर्णय में उल्लेखित मत का सहारा लिया जा सकता है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि क्वो वारंटो प्रकृति की रिट किसी नागरिक द्वारा दायर की जा सकती है, यदि वह प्रकट अन्याय/कानूनी गड़बड़ी का “रिलेटर” हो। अधिकारी केवी अग्रवाल (सुप्रा) के निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे पुनरुत्पादित किया गया है:-

“13. उपरोक्त न्यायिक निर्णयों के आलोक में, जो निश्चित विधिक स्थिति उभरती है, वह यह है कि सेवासंबंधी मामलों में जनहित याचिका विचारणीय नहीं होगी, किन्तु क्वो वारंटो की रिट एक नागरिक द्वारा दायर की जा सकती है। अतः, कोई भी नागरिक क्वो वारंटो रिट जारी करने का दावा कर सकता है और वह ‘रिलेटर’ की स्थिति में आता है। इसके लिए उसके पास कोई विशेष हित या व्यक्तिगत हित होना आवश्यक नहीं है। वास्तविक कसौटी यह है कि क्या संबंधित व्यक्ति, जो सार्वजनिक पद धारण किए हुए है, को कानून के अनुसार ऐसा करने का अधिकार है या नहीं, और ऐसे मामलों में, देरी या निष्क्रियता न्यायालय द्वारा विषय-वस्तु की मेरिट पर विचार करने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती। यह भी कहा गया है कि न्यायिक समीक्षा को विधिक प्रावधानों के संदर्भ में निर्णय प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा तक सीमित रखा जा सकता है।

31. उपरोक्त निर्णयों के आधार पर यह स्पष्ट है कि कोई भी नागरिक क्वो वारंटो की रिट का दावा कर सकता है और वह 'रिलेटर'की स्थिति में आता है। उसके पास कोई विशेष हित या व्यक्तिगत हित होना आवश्यक नहीं है। वास्तविक परीक्षण यही है कि क्या पद धारक को कानून के अनुसार वह पद धारण करने का अधिकार है या नहीं। देरी और निष्क्रियता मेरिट के आधार पर विषयवस्तु पर विचार करने में कोई रुकावट नहीं है और ऐसा स्पष्ट रूप से काशीनाथ जी. जालमी बनाम स्पीकर (1993) 2 एस सी सी 703 में कहा गया है।”

19. इसलिए, केवल यह तथ्य कि याचिकाकर्ता दौसा का निवासी है, जो उक्त क्षेत्र का विधिवत निर्वाचित पार्षद भी है, स्वतः ही याचिकाकर्ता को एक 'रिलेटर' होने के योग्य बनाता है, जो व्यापक जनहित में, बिना किसी विशेष/व्यक्तिगत हित के, कथित अन्याय/कानूनी अवहेलना के विरुद्ध क्वो-वारंटो रिट जारी करने का दावा कर सकता है।

20. परिणामस्वरूप, दौसा के एक वास्तविक निवासी होने के नाते, याचिकाकर्ता को अधिकार है कि वह अधिकार-पृच्छा रिट दायर करे ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या प्रतिवादी संख्या 4, यानी श्रीमती मोनिका सोनी, विशेष रूप से उनकी योग्यताओं को देखते हुए, आयुक्त के रूप में सार्वजनिक पद धारण करने के लिए अधिकृत हैं। अनियमित नियुक्ति के निहितार्थ, जहाँ तक वह निर्धारित वैधानिक योग्यताओं से परे है, दूरगामी और व्यापक हैं। इसलिए,

याचिकाकर्ता के पास वर्तमान याचिका दायर करने का उचित अधिकार है ताकि क्वो वारंटो की रिट की मांग की जा सके।

21. जहाँ तक द्वितीयक आपति का संबंध है, जिसमें चुनाव आयोग को आवश्यक पक्षकार के रूप में पक्षकार नहीं बनाए जाने, विशेषकर आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के प्रकाश में, का उल्लेख किया गया है, तो यह भी निम्नलिखित कारणों से विचारणीय नहीं है:

21.1 वर्तमान न्यायालय के समक्ष सीमित मुद्दा यही है कि क्या निजी प्रतिवादी संख्या 4 अर्थात् श्रीमती मोनिका सोनी के पास, 1963 के वैधानिक नियमों के अनुरूप, नगर परिषद आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने के लिए आवश्यक योग्यताएँ हैं या नहीं, और ये नियम वर्तमान में पूरी तरह से प्रभावी हैं। अतः, वैधानिक पात्रता के इस निर्धारण हेतु, चुनाव आयोग को आवश्यक पक्षकार के रूप में पक्षकार बनाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

21.2 वर्तमान याचिका के माध्यम से, निजी प्रतिवादी संख्या 4 को दिनांक 17.02.2024 के आदेश द्वारा आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने को चुनौती दी गई है। जबकि, आचार संहिता केवल उक्त आदेश पारित होने के पश्चात्, अर्थात् 16.03.2024 को लागू हुई। अतः, चूंकि कारण-ए-कार्यवाही मार्च 2024 से पूर्व उत्पन्न हुआ, इसलिए चुनाव आयोग को पक्षकार बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

22. फलस्वरूप, उपर्युक्त कारणों के आधार पर प्रतिवादियों द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियां अस्वीकार की जाती हैं और न्यायालय के समक्ष उपस्थित विवाद का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा।

23. गुण-दोष के आधार पर, यह न्यायालय तत्काल याचिका को निम्नलिखित कारणों से स्वीकार करने को उपयुक्त समझता है, जैसे कि नीचे दर्शाया गया है:

23.1 यह निर्विवाद तथ्य है कि निजी प्रतिवादी संख्या 4 अर्थात् श्रीमती मोनिका सोनी एक कार्यकारी अधिकारी श्रेणी-III हैं।

23.2 1963 के नियमों से संलग्न अनुसूची के अनुसार, जिसे 30.01.2018 को जारी अधिसूचना द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 के तहत संशोधित किया गया, यह पूर्णतः स्पष्ट है कि आयुक्त का पद केवल वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा ही भरा जा सकता है। साथ ही, केवल वे अधिकारी जो कार्यकारी अधिकारी श्रेणी-II में हैं, को उक्त आयुक्त के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है, बशर्ते उनके पास न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव हो। त्वरित संदर्भ के लिए, 1963 के नियमों की संशोधित अनुसूची नीचे प्रस्तुत की जा रही है:-

राजस्थान नगर निगम सेवा नियम 1963

क्र.सं	पदनाम एवं ग्रेडेशन के साथ श्रेणी	भर्ती का स्रोत	पद एवं कोटा जिससे पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की जानी है	पदोन्नति के लिए आवश्यक न्यूनतम अनुभव	प्रत्यक्ष भर्ती के लिए योग्यता	टिप्पणी
1 ए	आयुक्त	100% पदोन्नति द्वारा वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर	कार्यपालक अधिकारी, श्रेणी-द्वितीय	तीन वर्ष का अनुभव		
2.	कार्यपालक अधिकारी श्रेणी-द्वितीय	100% पदोन्नति द्वारा वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर	कार्यपालक अधिकारी श्रेणी-III 66 2/3% एवं राजस्व अधिकारी ग्रेड-I 33 1/3% (अनुपात 2:1 के अनुसार, क्रमशः कार्यपालक अधिकारी श्रेणी-III एवं राजस्व	तीन वर्ष का अनुभव		प्रथम दो पद कार्यपालक अधिकारी श्रेणी-III से पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे तथा तीसरा पद राजस्व अधिकारी ग्रेड-I से पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा, इसके

**"(डी.बी. एसएडब्ल्यू/533/2024 यह मामला बनाया गया है। कृपया इसे देखने के लिए आगे पढ़ें।)
(30/05/2025 दोपहर 12:22:01 बजे डाउनलोड किया गया।)"**

			अधिकारी ग्रेड-1 से)			पश्चात् यह चक्र पुनः दोहराया जाएगा।
--	--	--	------------------------	--	--	--

23.3 वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, निजी प्रतिवादी संख्या 4 के पास वह आवश्यक योग्यता नहीं है, जो आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने के लिए अपेक्षित है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि श्रीमती मोनिका सोनी एक कार्यपालक अधिकारी श्रेणी-III हैं, जबकि 1963 के नियमों के अनुसार, आयुक्त की नियुक्ति केवल कार्यपालक अधिकारी श्रेणी-II के पद से वरिष्ठता सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति द्वारा की जानी चाहिए।

23.4 परिणामस्वरूप, प्रत्युत्तरदाताओं की ओर से सीखे हुए अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत यह तर्क कि प्रशासनिक आवश्यकता, जैसे आगामी चुनाव, के कारण निजी प्रतिवादी संख्या 4 को उक्त अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाना उचित है, स्वीकार नहीं किया जा सकता, विशेष रूप से इस कारण कि उक्त नियुक्ति प्रारंभ से ही शून्य है, क्योंकि यह स्थापित वैधानिक नियमों के विपरीत है। इसके अलावा, आगामी लोकसभा चुनाव महज एक कारण नहीं हो सकता जिससे किसी व्यक्ति को ऐसे पद या कार्यालय पर नियुक्त किया जा सके, जिसके लिए उसके पास कानून द्वारा निर्धारित योग्यता न हो।

23.5 वर्तमान याचिका के माध्यम से, निजी प्रतिवादी संख्या 4 अर्थात् श्रीमती मोनिका सोनी की उम्मीदवारी एवं सेवा की प्रकृति को चुनौती नहीं दी गई है। बल्कि, चुनौती केवल उक्त निजी प्रतिवादी को आयुक्त-नगर परिषद, दौसा का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने की योग्यता को लेकर उठाई गई है, इस आधार पर कि उक्त निजी प्रतिवादी का संवर्ग उक्त पद पर नियुक्ति के लिए वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

23.6 नगर परिषद आयुक्त का पद कार्यालय में दक्षता की मांग करता है और उक्त दक्षता मानक किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता जो उक्त पद और/या पद धारण करने के लिए आवश्यक योग्यताएँ नहीं रखता। परिणामस्वरूप, किसी अयोग्य व्यक्ति को आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपने से पूरी परिषद का कामकाज प्रभावित होगा और अनजाने में, आम जनता के साथ पक्षपात होगा।

23.7 प्रशासनिक आवश्यकताओं की आड़ में, 1963 के नियमों के अनुसार अयोग्य अधिकारी को आयुक्त-नगर परिषद दौसा का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

24. परिणामस्वरूप, पूर्वोक्त टिप्पणियों के समग्र प्रकाश में, यह न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, इस याचिका को स्वीकार करना उचित समझता है और परिणामस्वरूप, दिनांक 17.02.2024 के उस आदेश को रद्द और निरस्त करता है जिसके तहत

निजी प्रतिवादी संख्या 4 अर्थात श्रीमती मोनिका सोनी को आयुक्त-नगर परिषद दौसा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

25. तदनुसार, वर्तमान याचिका स्वीकार की जाती है। यदि कोई लंबित आवेदनों हैं, तो वे भी निस्तारित माने जाएं।

(समीर जैन),जे

जेकेपी/एस-786

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate